संख्या-35/2015/803/47-का-3-2015-13/14/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2015**

विषय - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वली परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के भवन किराये आदि का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-159/परीक्षा अनुभाग/ आयोग/2015/02/2014, दिनांक 16.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को आबद्ध किए जाने पर उन्हें निम्नवत भुगतान किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) राजकीय विद्यालयों/ अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की स्थिति में उन्हें भवन किराया तथा फर्नीचर व्यय अनुमन्य नही होगा।

(2) निजी प्रबन्ध के विद्यालयों/ अन्य शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की स्थित में उन्हें भवन फर्नीचर तथा विदद्युत किराये के रूप में निम्नवत भुगतान किया जायेगा :-

(क) 500 पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु रू0-300.00 प्रतिदिन (केवल परीक्षा दिवस हेतु)।

(ख) 501 से 700 अभ्यर्थियों हेतु रू0-400.00 प्रतिदिन (केवल परीक्षा दिवस हेतु)।

(ग) 701 से अधिक अभ्यर्थियों हेतु रू0-500.00 प्रतिदिन (केवल परीक्षा दिवस हेतु)।

(3) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को स्टेशनरी क्रय तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रू0-300.00 प्रतिदिन अनुमन्य होंगे।

(4) सीटिंग व्यवस्था हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को रू0-200.00 प्रति दिन अनुमन्य होंगें।

(5) स्टील के जग/ गिलास, ड्रम, बाल्टी तथा ट्रे आदि क्रय करने की अनुमति नही होगी।

(6) अस्थायी शौचालय निर्माण हेतु कोई धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

(7) पर्यवेक्षकों, अन्तरीक्षकों आदि को शासनादेश संख्या-24/2015/87/47-का-3-2015-13/34/2006, दिनांक 07.04.2015 के द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक देय होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" में सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35/2015/803(1)/47-का-3-2015-13/14/2015, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (प्रथम/ द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2.
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(बाबू राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।